संख्या-102 / 2016 / 438 /चार-2016-2 (बजट)2017

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 18 अप्रैल, 2016

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आयोजनेत्तर पक्ष में संस्कृति निदेशालय के अधीन संस्थाओं/अकादमियों के लिए 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) की मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-18/सं0नि0-20(आवंटन एन0पी0)/2016-17, दिनांक 06 अप्रैल,2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में संस्कृति निदेशालय के अधीन कार्यरत संस्थाओं/ अकादमियों के कार्मिकों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 10,29,30,000/- (रूपये दस करोड उन्नतीस लाख तीस हजार) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त कुल धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निर्वतन पर रखे जाने की अनुमति भी प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत धनराशि का आहरण वि0ह0 पुस्तिका के संगत नियमों के अनुसार राजकोष से किया जाएगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य स्क्षम प्राधिकारी की, जहॉ कही आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

4- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सक्षम किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च,2016 में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

किया जायेगा। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन तथा इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

संख्या- 102 / 2016 / 438 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- सचिव, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी/सचिव, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी एवं कथक केन्द्र लखनऊ/निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी/सचिव, कथक केन्द्र, लख्नऊ /निदेशक वृन्दावन शोध संस्थान, मथुरा/निदेशक, जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ/निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या फैजाबाद/कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान, सम विश्वविद्यालय लखनऊ/ निदेशक, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, लखनऊ ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 102 / 2016 / 438 /चार-2016-2(बजट)/2017 दिनांक 18 अप्रैल,2016 का संलग्नक

चालू वित्तीय वर्ष 2016 -17 के लिये जारी स्वीकृतियों का विवरण-आयोजनेत्तर

मदें	धनराशि (हजार रूपये में)
2205-कला एवं संस्कृति **101-ललित कला शिक्षा**	
06- उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ को अनुदान	
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	4400
07- उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान	
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	13000
08- भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ को अनुदान	
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	13770
09- कथक केन्द्र लखनऊ के विकास के लिये अनुदान	
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	4296
12- वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन (मथुरा) को अनुदान	
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	2400
16- उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ को अनुदान	
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	1053
17- अयोध्या शोध संस्थान को अनुदान	
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	4363
20- कथक नृत्य संस्थान, लखनऊ	
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	2978
21- भातखण्डे संगीत संस्थान को अनुदान	
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	55570
22- लोक एवं जनजाति कला तथा सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना	
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	1100
योग	**102930**

(रूपये दस करोड उन्नतीस लाख तीस हजार मात्र)

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।